भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1007
सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक)

संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार छूटना

1007. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार छूटने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस अवधि के दौरान रोजगार छूटने से हुए प्रभाव को कम करने के लिए की गई सरकारी पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार के समक्ष उपलब्ध ईएसआई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों पर ईएसआई निधि से कितनी धनराशि व्यय की गई है;
(ङ) क्या सरकार ने लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को सहायता हेतु ईएसआई निधि से श्रमिकों को कोई अनुदान या राहत दी है; और
(च) यदि हां, तो दी गई राहत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। कोविड-19 की चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ता को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार क्षमता के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ (जीकेआरए) किया है। जीकेआरवाई के तहत 02-02-2021 की स्थिति के अनुसार, कुल सृजित रोजगार (मानव दिवसों में) 507868671 है।

भारत सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान किया है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्तिय कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी की आकास्मिक्ता में बीमित व्यक्तियों (आईपी) को राहत प्रदान करता है जिसके तहत, अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए नकद राहत प्रदान की जाती है बशर्ते की बीमित व्यक्ति बेरोजगार हो जाने से पूर्व कम से कम 2 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार में था। योजना, जो कि आरंभ में 2 वर्षों के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की गई थी, 01.07.2018 से प्रभाव में आई।

ईएसआई निगम ने इस योजना का अन्य एक वर्ष अर्थात् 01-07-2020 से 30.06.2021 तक औसत दैंनिक आय के 25% से बढ़ाकर 50% करने तथा 24.03.2020 से आगे बीमित व्यक्तियों हेतु पात्रता शर्तों में छूट के साथ विस्तार कर दिया है।

ईएसआईसी अपनी निधियों का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के समान ईएसआई निगम द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुरूप निवेश करता है। ईएसआईसी ने भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित विशेष जमा खाते (एसडीए) में 16,976.78 करोड़ रु. निवेश किया है।

ईएसआई योजना, ईएसआई अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यान्वित की जाती है तथा कवर किए गए नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों से प्राप्त अंशदानों से वित्तपोषित है, जिसे "ईएसआई निधि" में जमा किया जाता है। ईएसआईसी द्वारा केंद्र सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। नकद लाभ एवं चिकित्सा लाथ प्रदान करने हेतु समस्त व्यय ईएसआईसी द्वारा ईएसआई निधि से किए जाते हैं।

*****